राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3944/2025

घनश्याम बैरवा

–अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 19.08.2025
सुनवाई की दिनांक : 11.09.2025
आदेश की दिनांक : 11.09.2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री हीरालाल गोठवाल, अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा सवाई माधोपुर के कार्यालय में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत है। बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के आलौच्य दिनांक 03.08.2025 के द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से प्रधानाचार्य एवं समकक्ष, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बुधपुरा बूंदी के पद पर केवल निजी प्रतिवादी को समंजित करने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी के स्थान पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शेरगढ़ जिला बारां से निजी प्रतिवादी को केवल उसे अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए समायोजित किया गया है। डॉ. अजय शर्मा बनाम राज्य के मामले में, यह माना गया है कि यदि विवादित आदेश केवल किसी अन्य व्यक्ति को सुविधा प्रदान करने के लिए जारी किया गया पाया जाता है, तो उसे मान्य नहीं माना जाना चाहिए। इस मामले में आलौच्य आदेश की पालना में अपीलार्थी को दिनांक 05.08.2025 को कार्यमुक्त कर दिया गया है। (अनुलग्नक–1) सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगाने के लिए, राज्य सरकार द्वारा दिनांक 04.01.2024 को एक आदेश जारी किया गया है, इस आदेश के अनुसार 22.02.2024 से स्थानांतरण पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार द्वारा 15.01.2025 से रोक लगाई गई थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रतिबंध 15.01.2025 तक के लिए हटा लिया गया था और आलौच्य आदेश स्थानान्तरण प्रतिबंध अवधि में जारी किया गया है। अपीलार्थी गंभीर हृदय रोग से पीड़ित है और उसका उपचार 2018 से

निरंतर चल रहा है। अपीलार्थी के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। (अनुलग्नक–3)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलार्थी के संबंध में जारी आलौच्य आदेश दिनांक 03–08–2025 एवं कार्यमुक्ति दिनांक 05.08.2025 को अपास्त किया जावे और अपीलार्थी को जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा सवाई माधोपुर के कार्यालय में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में जारी रखने की अनुमति दी जावे। साथ ही उसे सभी परिणामी लाभ भी प्रदान किए जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं मनन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी वर्तमान पद पर अक्टूम्बर 2019 से कार्यरत है एवं पूर्व में भी सीतम्बर 2010 से सवाईमाधोपुर में लगातार पदस्थापित रहा है। जहां तक निजी प्रत्यर्थी को समंजित किए जाने का प्रश्न है, आलौच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि निजी प्रत्यर्थी को समंजन करने की दृष्टि से स्थानान्तरण करने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है। आलौच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर किया गया है। आलौच्य आदेश में हम नियमों का उल्लघंन या कोई दुर्भावना नहीं पाते है। अपीलार्थी राज्य सेवा का अधिकारी है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकता एवं जनहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। प्रशासनिक निर्णय/आदेश में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जब तक की निर्णय विधि विरूद्ध तरीके से पारित नहीं किया गया हो। अपीलार्थी अपनी पारिवारिक परेशानियों के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु सदैव स्वतंत्र है।

अतः अपील सारहीन एवं बलहीन होने के आधार पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष